न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

28/10/25 आज यह पत्रावली स्वयं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निवेदन पर दिनांक 4/11/2025 से तलब होकर पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता। एवं प्रकरण ड्रोप करवाने का निवेदन किया। प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली की कार्यवाही ड्रोप की जाकर प्रकरण स्थगित किया जाता है। पत्रावली बाद पूर्ति नियम सी क्रम होकर जमा लेख्य भंडार हो।

SDO

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

निहाल सिंह बनाम मनोहरलाल

प्रार्थना पत्र संख्या— 02 / 186[redacted] / 2024

26.07.2024

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल आराजी खाता संख्या 479 आराजी खसरा संख्या 399 / 1.17 है0 वाके ग्राम टहला तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य कर आराजी के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन न करें ना ही दीगर शख्सों का कब्जा कराये, ना ही दखल मिलने के उपरान्त उक्त आराजी से प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा कर कोई निर्माण कार्य करें ना ही प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण के साथ उक्त आराजी के कब्जे—काश्त व उपयोग—उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करें। अन्त में उक्त विवादित आराजी पर मौके व राजस्व रिकॉड की यथास्थिति बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि उक्त वर्णित विवादित आराजी में उभयपक्षकारान रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर गनन किया। अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी आदेशों तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि हाल आराजी खाता संख्या 479 आराजी खसरा संख्या 399 / 1.17 है0 वाके ग्राम टहला तहसील टहला में आगामी आदेशों तक मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। साथ ही किसी भी प्रकार का नवीन निर्माण कार्य ना करें। प्रश्न गत भूमि का रहन / बेचान ना करें। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे।इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 27.08.2024 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
जिला अलवर

27/8/24 अवकाश पर
पीठासीन अधिकारी ~~अन्य कार्यों में~~
व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 1/10/2024
को पेश हो।
रीडर

01.10.24
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में
व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 05/11/24
को पेश हो।
रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
28/10/25 पत्रावली प्रार्थी के निवेदन पर दिनांक 4/11/25 से तलब होकर आज पेश हुई चुकी मुलवाद प्रार्थी के निवेदन पर ड्रोप किया जाकर खारिज किया जा चुका है वादित प्रार्थना पत्र RT Act-212 की कार्यवाही भी खारिज रखा पर बाद की जाकर खारिज किया जाता है एवं माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 26/07/2024 भी खारिज रखा पर निरस्त किया जाता है पत्रावली बाद पूर्ति नम्बर से कम होकर दाखिल मुलवाद हो SDO	[illegible]